(समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ)

कार्यालय नगर निगम, उदयपुर

टाउनहॉल लिंक रोड, उदयपुर (राज.) 313001

दूरभाष स. 0294-2421255, 2420013, Helpline no. 0294-2426262 वेबसाइट- www.udaipurmc.org

क्रमांकः– राजस्व/2024–25/108 दिनांकः– 03/02/25

ई–निविदा सूचना संख्या ..05.../2024–25

नगर निगम उदयपुर द्वारा वाहन पार्किंग स्थल **"सेवाश्रम एंव नवनिर्मित फ्लाईओवर के नीचे पार्किंग"** में वाहन पार्किंग व्यवस्था हेतु 2 वर्ष की अवधि के लिए वाहन पार्किंग कार्य हेतु ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा की विस्तृत जानकारी, निविदा प्रपत्र एवं नियम शर्तों की सूचना निम्नलिखित वेबसाईट पर उपलब्ध है :– www.eproc.rajasthan.gov.in, https://sppp.rajasthan.gov.in, https://www.udaipurmc.org निविदा की प्रारंभ तिथि 05/02/25 अन्तिम तिथि 19/02/25 तथा खुलने की तिथि 20/02/25 है।

UBN No.- UNP2425SSOB00184

राम प्रकाश (IAS)
आयुक्त
नगर निगम, उदयपुर

प्रतिलिपि :–

1. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान संवाद, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, परिसर शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उपरोक्त निविदा का प्रकाशन क्षैत्रीय दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका अथवा दैनिक भास्कर के उदयपुर संस्करण में प्रकाशित करवायें तथा कार्यादेश की प्रति ई–मेल आई.डी. revenuesec2015@gmail.com पर प्रेषित करवायें।
2. अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत को भेज कर लेख है कि निगम वेबसाइट पर उक्त निविदा अपलोड करवाया जाना सुनिश्चित करें।
3. नोटिस बोर्ड, कार्यालय नगर निगम उदयपुर।

आयुक्त
नगर निगम, उदयपुर

Signature valid
Digitally signed by Ram Prakash
Designation: Commissioner
Date: 2025.01.30 21:58:23 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 13247611

कार्यालय नगर निगम, उदयपुर

टाउनहॉल लिंक रोड, उदयपुर (राज.) 313001_

दूरभाष स. 0294-2421255, 2420013, Helpline no. 0294-2426262 वेबसाइट- www.udaipurmc.org

क्रमांकः— राजस्व / 2024—25 / 108 दिनांकः— 03/02/25

ई—निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है नगर निगम उदयपुर द्वारा निम्नलिखित स्थल पर वाहन पार्किंग व्यवस्था हेतु निर्धारित प्रपत्र में ई—टेण्डरिंग प्रक्रिया अनुसार ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती है:—

क्र. सं	पार्किंग स्थल	प्रारम्भिक बोली राशि(रू.)	निविदा प्रपत्र शुल्क ;नोन रिफण्डेबल	बोली प्रतिभूति राशि (प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष का 2 प्रतिशत)	प्रॉसेसिंग फीस एमडीआरआईए सएल जयपुर के पक्ष में	निविदा अवधि
1	सेवाश्रम एवं नवनिर्मित फ्लाईओवर के नीचे पार्किंग	4,60,000 / —	1000+180 (GST) = 1180 / —	19,320 / —	500 / —	2 वर्ष

ऑनलाईन Tender Fee & Processing Fee जमा कराने की प्रक्रिया :—

1. निविदा प्रपत्र अनुसार Tender Fees & Processing Fees निर्धारित दिनांक एवं समय तक निगम वेबसाईट https://www.udaipurmc.org पर E-Tender में जाकर ऑनलाईन जमा कराकर प्राप्ति रसीद वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर जमा कराये जाने वाले दस्तावेजों के साथ अटेच करनी होगी।
2. वित्त विभाग के आदेश अनुसार 50.00 लाख रुपये तक की निविदा राशि के कार्यों के लिये 500 / —रुपये की राशि निविदा शुल्क के अतिरिक्त देनी होगी जो मैनेजिंग डायरेक्टर, आर.आई.एस.एल. जयपुर के पक्ष में भुगतान योग्य होना चाहिए।
3. ऑनलाईन राशि जमा नहीं कराने वाले बिडर के लिये आवश्यक होगा कि वे निविदा शुल्क राशि आयुक्त नगर निगम उदयपुर के नाम तथा निविदा प्रक्रिया शुल्क मैनेजिंग डायरेक्टर,आर.आई.एस.एल.(M.D., R.I.S.L.) जयपुर के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट के रुप में नगर निगम उदयपुर कार्यालय में निर्धारित .... दिनांक 20/02/25 को दोपहर 02:00 बजे तक भौतिक रुप से जमा करा देंवे, इसके अभाव में बिडर की निविदा नहीं खोली जावेगी।

Signature valid

Digitally signed by Ram Prakash
Designation: Commissioner
Date: 2025.01.30 21:58:23 IST
Reason: Approved

4. निविदा प्रपत्र को इलेक्ट्रोनिक फोर्मेट में वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर दिनांक 19/02/25 को सांय 06.55 बजे तक जमा कराया जा सकता हैं। प्राप्त निविदाऐं इलेक्ट्रोनिक फार्मेट में वेब साईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर आयुक्त नगर निगम, उदयपुर के कार्यालय में उपस्थित बिडर्स व उनके प्रतिनिधियों के समक्ष दिनांक 20/02/25 को सांय 04:00 बजे खोली जावेगी। यदि किसी कारणवश उस दिन अवकाश रहता है तो अगले कार्य दिवस को उसी समय व उसी स्थान पर निविदायें खोली जावेगी। यह निविदा Single Stage Two Envelope Bidding System से की जा रही है तकनिकी निविदा में पात्र पाये गए बिडर्स की ही वित्तीय बिड खोली जाएगी।

5. बीडर/बिडिंग फर्म को पेन कार्ड, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, आधार कार्ड, संस्था/कम्पनी/फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, स्थाई पता का प्रमाण संलग्न करना अनिवार्य है।

6. जीएसटी व अन्य कर की जिम्मेदारी बिडर/बिडिंग फर्म की होगी।

ई–टेन्डरिंग के लिए निविदादाता हेतु निर्देश :

1. इन निविदाओं में दिलचस्पी लेने वाले बिडर निविदा प्रपत्र को इन्टरनेट साईट www.eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड (Download) कर सकते है।
2. निविदा में भाग लेने वाले बिडर्स को इन्टरनेट साईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ऑनलाईन निविदा में भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट इन्फोरमशन टेक्नोलॉजी एक्ट–2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलेक्ट्रोनिक निविदा में साइन करने हेतु काम आएगा।
3. बिडर्स उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सी.सी.ए (CCA) द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते है। जिन बिडर्स के पास पूर्व में वैध डिजिटल सर्टिफिकेट है, नया डिजिटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।
4. बिडर्स को निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रोनिक फार्मेट में उपरोक्त वेबसाईट व डिजिटल साइन के साथ प्रस्तुत करना होगा, जिसके प्रस्ताव डिजिटल साईन के साथ नहीं होगें, उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए जाएंगे। कोई भी प्रस्ताव अकेले भौतिक फार्म में स्वीकार्य नहीं होगा।
5. ऑनलाईन निविदाऐं निर्धारित दिनांक एवं समय अनुसार खोली जाएगी।
6. इलेक्ट्रोनिक निविदा प्रपत्र को जमा कराने से पूर्व बिडर यह सुनिश्चित कर लेंवे की निविदा प्रपत्र में संबधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्केन कॉपी निविदा प्रपत्र के साथ अटैच कर दी गई है।
7. कोई भी टेंडर इलेक्ट्रोनिक रुप में जमा कराने में किसी भी कारण से विलम्ब हो जाता है तो उसका जिम्मेदार विभाग नहीं होगा।
8. निविदा के प्रपत्र में आवश्यक सभी सूचियों/प्रपत्र को संपूर्ण रूप से भरकर ऑनलाईन दर्ज करें।
9. अन्य विवरण निविदा प्रपत्र में उपलब्ध है।
10. इस निविदा के अन्तर्गत यदि कोई आवश्यक संशोधन हुआ तो उसे वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर प्रकाशित किया जावेगा जिसका अवलोकन कर आवश्यक कार्यवाही करने की जिम्मेदारी बिडर की होगी।

Signature valid
Digitally signed by Ram Prakash
Designation: Commissioner
Date: 2025.01.30 2?:58:23 IST
Reason: Approved

नगर निगम वाहन पार्किंग स्थल पर पार्किंग व्यवस्था की शर्ते

1. निगम द्वारा दर्शाई गई प्रारंभिक बोली राशि सांकेतिक है उपयुक्त पाए जाने पर अधिकतम दर देने वाले बिडर की दर अनुमोदित की जाएगी।
2. पार्किंग स्थल पर रखे गये सभी वाहनों की सुरक्षा का दायित्व सफल बिडर का रहेगा। पार्किंग स्थल में वाहन चोरी या अन्य दुर्घटना एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी सफल बिडर की होगी तथा उसके लिये यदि कोई मुआवजा/क्षतिपूर्ति देय हुआ तो वह पूर्णतः सफल बिडर का दायित्व होगा।
3. पार्किंग स्थलों पर सफल बिडर द्वारा निम्नलिखित दर से राशि वसूल की जा सकेगी:-

साईकिल	2/-रूपया
मोटर साईकिल, स्कूटर, मोपेड	5/-रूपया
कार, जीप	10/-रूपया

नोटः- उपरोक्त दरें प्रति 2 घंटे के लिये मान्य होगी।

सफल बिडर द्वारा स्थाई रूप से वाहन रखने वालों के लिए मासिक पास की व्यवस्था करनी होगी। यदि सफल बिडर द्वारा किसी व्यक्ति के दो पहिया एवं चार पहिया वाहन रखने के मासिक पास जारी किये जाते है तो वाहन वार पृथक-पृथक रसीदें जारी करनी होगी। मासिक पास का शुल्क निम्नानुसार देय होगा:-

मोटर साईकिल, स्कूटर मोपेड आदि	700.00 रूपया प्रतिमाह
कार, जीप आदि	1200.00 रूपया प्रतिमाह

4. पार्किंग कार्य का कार्यादेश अधिकतम दर देने वाले बिडर को स्वीकृत किया जाएगा।
5. बिड खोले जाने के पश्चात् अधिकतम दर देने वाले बिडर को दर अनुमोदन हेतु पत्र जारी किया जाएगा। इस दर अनुमोदन के पत्र के जारी होने के 7 दिवस के भीतर अनुबन्ध निष्पादन हेतु नियमानुसार स्टाम्प प्रस्तुत करने होंगे, दोनों वर्ष की कुल राशि का 10 प्रतिशत कार्य संपादन प्रतिभूति राशि के रुप में तथा प्रथम वर्ष की राशि का 50 प्रतिशत भाग प्रथम किश्त के रुप में जमा कराने के पश्चात् कार्यादेश जारी किया जाएगा। कार्यादेश में वर्णित तिथि से कार्यारंभ किया जाएगा।
6. प्रथम वर्ष की शेष 50 प्रतिशत राशि (द्वितीय किश्त) कार्यारम्भ की दिनांक से पांच माह पश्चात् किन्तु 6 वां माह समाप्ति होने के पूर्व जमा करानी होगी। उदाहरणार्थ यदि कार्यारम्भ तिथि 1 जनवरी 2025 है तो प्रथम वर्ष की शेष 50 प्रतिशत राशि 1 जून 2025 से 30 जून 2025 के मध्य जमा करानी होगी।

Signature valid

Digitally signed by Ram Prakash
Designation: Commissioner
Date: 2025.01.30 2?:58:23 IST
Reason: Approved

7. द्वितीय वर्ष की राशि की गणना प्रथम वर्ष की अनुमोदित दर में 10 प्रतिशत वृद्धि करते हुये की जाएगी। उदाहरणार्थ यदि प्रथम वर्ष की ठेका राशि 4,00,000/– रूपये है तो द्वितीय वर्ष की ठेका राशि 4,40,000/– रूपये होगी। द्वितीय वर्ष की राशि का 50 प्रतिशत भाग (तृतीय किश्त) कार्यारम्भ तिथि के 11 वां माह समाप्त होने के पश्चात् किन्तु 12 वां माह समाप्ति होने के पूर्व जमा करानी होगी। उदाहरणार्थ यदि कार्यारम्भ तिथि 1 जनवरी 2025 है तो द्वितीय वर्ष की राशि 1 दिसम्बर 2025 से 31 दिसम्बर 2025 के मध्य जमा करानी होगी।

8. द्वितीय वर्ष की राशि का 50 प्रतिशत शेष भाग (चतुर्थ किश्त) कार्यारम्भ तिथि के 17 वां माह समाप्त होने के पश्चात् किन्तु 18 वां माह समाप्त होने के पूर्व जमा करानी होगी। उदाहरणार्थ यदि कार्यारम्भ तिथि 1 जनवरी 2025 है तो द्वितीय वर्ष की शेष 50 प्रतिशत राशि 1 जून 2026 से 30 जून 2026 के मध्य जमा करानी होगी।

9. यदि सफल बिडर द्वारा दोनों वर्ष की राशि एकमुश्त अनुबन्ध के समय एक साथ एक मुश्त जमा करा दी जाती है तो दोनों वर्ष की कुल राशि पर 3 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।

10. यदि सफल बिडर द्वारा प्रथम वर्ष की शेष राशि 50 प्रतिशत (द्वितीय किश्त) या द्वितीय वर्ष की 50 प्रतिशत राशि (तृतीय किश्त) या द्वितीय वर्ष की शेष 50 प्रतिशत (चतुर्थ किश्त) निर्धारित तिथियों अनुसार नही जमा कराई जाती है तो निगम द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की जा सकेगी:–

(क) पार्किंग स्थल को तत्काल प्रभाव से निर्धारित तिथि पश्चात् अधिग्रहित किया जाकर बिडर (संवेदक) की कार्य संपादन प्रतिभूति जब्त करते हुये ऐसे बिडर को निगम की पार्किंग संबंधी निविदाओं में भाग लेने के लिए अधिकतम तीन वर्ष के लिए विवर्जित (डिबार) कर दिया जाए।

अथवा

(ख) बिडर (संवेदक) को किश्त जमा कराने की तिथि का विस्तार प्रदान किया जाए किन्तु विस्तारित अवधि के लिए देय दिनांक से वास्तविक रुप से जमा दिनांक तक की अवधि के लिए 18 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज लिया जाए।

उपरोक्त विकल्प क और ख का चयन आयुक्त नगर निगम द्वारा माननीय प्रशासक महोदय से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाएगा तथा पूर्णतया आयुक्त एवं माननीय प्रशासक महोदय के विवेकाधीन होगा जिसे बिडर (संवेदक) को मान्य करना होगा।

11. सफल बिडर को द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ किश्त हेतु पोस्ट डेटेड चेक वक्त अनुबन्ध प्रस्तुत करने होंगे जिन्हें नगर निगम द्वारा निर्धारित तिथि या उसके पश्चात् बैंक को प्रस्तुत कर दिया जाएगा किसी भी कारण से चैक अनादरित हो जाने पर बिडर (संवेदक) को दूरभाष पर सूचित कर राशि तत्काल जमा कराने के निर्देश दिये जायेंगे।

ये पोस्ट डेटेड चैक निम्नांकित तिथियों के होंगे:–

- प्रथम वर्ष की द्वितीय किश्त – कार्यारंभ के छट्टे मास का पन्द्रवा दिन
- द्वितीय वर्ष की प्रथम किश्त – कार्यारंभ के बारहवें मास का पन्द्रवाँ दिन
- द्वितीय वर्ष की द्वितीय किश्त – कार्यारंभ के अठारहवें मास का पन्द्रवाँ दिन

12. सफल बिडर की स्वेच्छा से समय से पूर्व कार्य छोडने पर कोई जमा राशि नहीं लौटाई जायेगी।

Signature valid

Digitally signed by Ram Prakash
Designation: Commissioner
Date: 2025.01.30 2?:58:23 IST
Reason: Approved

13. जिस सफल बिडर के नाम पर कार्य स्वीकृत होगा वो ही पार्किंग शुल्क की राशि वसूली करने हेतु अधिकृत होगा। सफल बिडर द्वारा कर्मचारी रखे जाने पर उसके परिचय पत्र, मोबाइल नं. की सूचना राजस्व शाखा में प्रस्तुत करनी होगी।
14. नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी, पार्षद व सरकारी वाहनों को परिचय पत्र बताने पर शुल्क से मुक्त रखा जायेगा किन्तु मासिक पास में किसी प्रकार की छूट/रियायत देय नही होगी।
15. नगर निगम/राज्य सरकार के किसी भी जनहित के कार्यक्रम होने पर पार्किंग स्थल को रिक्त रखना होगा जिसका सफल बिडर को कोई मुआवजा देय नही होगा।
16. सफल बिडर की कोई शर्ते स्वीकार नही की जायेगी।
17. पार्किंग सुविधाएं उपलब्ध कराना निगम का वैधानिक कर्तव्य होने के कारण आर्टिकल 243 (W) के अन्तर्गत आता हैं। अतः पार्किंग सुविधा की इस निविदा पर जी.एस.टी. लागू नही है यदि भविष्य में किसी संशोधन के फलस्वरुप जी.एस.टी. देय होता है तो निगम द्वारा वहन किया जायेगा।
18. इस निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने एवं नेगोसियेशन करने का पूर्ण अधिकार आयुक्त/प्रशासक नगर निगम का रहेगा।
19. सफल बिडर को नगर निगम, जिला प्रशासन, यातायात विभाग के दिशा—निर्देशों की पालना करना अनिवार्य होगा।
20. सफल बिडर नगर निगम, द्वारा बताये गये स्थल पर ही पार्किंग करने हेतु अधिकृत होगा।
21. निम्नांकित परिस्थितियाँ यदि दस दिवस या अधिक की अवधि के लिए घटित हो जाती है तो दस दिवस से अधिक दिनों की समयावधि में आनुपातिक वृद्धि की जाएगी। दस दिवस से कम होने पर कोई वृद्धि नही की जाएगी।

(1) किसी प्राकृतिक आपदा के कारण उदयपुर शहर को बन्द रखे जाने पर।

(2) कानून व्यवस्था हेतु पार्किंग से सम्बधिंत थाना क्षेत्र में कर्फ्यू लागू होने पर।

(3) सड़क सुधार या अन्य किसी कारण से पार्किंग स्थल तक वाहनों के पहुँचने का मार्ग अवरूद्व होने पर मार्ग अवरूद्ध हो जाने की सूचना मार्ग अवरूद्ध होने के दिन ही देनी होगी तथा राजस्व अधिकारी व सम्बधिंत वार्ड के अभियन्ता के द्वारा संयुक्त निरीक्षण करने पर तथा पार्किंग तक पहुंचने के सभी मार्ग बन्द हो जाने पर ही अवधि विस्तार किया जाएगा। यदि पार्किंग स्थल तक पहुंचने की वैकल्पिक मार्ग खुले उपलब्ध होगे तो अवधि विस्तार नही किया जाएगा।

(4) यदि पार्किंग स्थल के आसपास के क्षेत्र को No-vehicle zone घोषित कर दिया जाता है अथवा सप्ताह के कुछ दिनों के लिए No-vehicle zone घोषित किया जाता है तो ठेका राशि में आनुपातिक कमी कर दी जाएगी अथवा ठेका अवधि में आनुपातिक वृद्धि कर दी जाएगी।

22. संवेदक को पार्किंग शुल्क की वसूली हेतु नगर निगम द्वारा निर्धारित क्वालिटी की पोस मशीन उपलब्ध करवाई जायेगी जिसका शुल्क अमानत के तौर पर निगम में जमा प्रतिभूति राशि में समायोजित माना जायेगा, मशीन संचालित अवस्था में पुनः लौटाने पर ही प्रतिभूति राशि लौटायी जायेगी अन्यथा प्रतिभूति राशि में से आवश्यक कटौती की जा सकेगी। उक्त मशीन के आधार पर तय दर अनुसार वसूली किया जाना अनिवार्य होगा पोस मशीन संबंधित रोल इत्यादि का शुल्क संवेदक द्वारा वहन किया जायेगा।

Signature valid

Digitally signed by Ram Prakash
Designation: Commissioner
Date: 2025.01.30 21:58:23 IST
Reason: Approved

अथवा

निविदा स्वीकृति के पश्चात् नगर निगम द्वारा निर्धारित पार्किंग शुल्क की रसीद बुक निगम स्तर पर तैयार करवायी जाकर निगम द्वारा ठेकेदार को दी जावेगी। रसीद प्रिन्टिंग का व्यय संवेदक को नगर निगम में अलग से जमा कराना होगा। नगर निगम द्वारा प्रदत रसीदो को ही ठेकेदार द्वारा वाहन मालिको को दिया जावेगा तथा ठेकेदार को रसीदो का उचित रूप से रिकॉर्ड संधारित करना होगा।

23. निविदा अवधि के दौरान पार्किंग परिसर की सफाई व्यवस्था संवेदक को स्वयं के स्तर पर आवश्यक रूप से करनी होगी।

24. निम्नलिखित परिस्थितियों में सफल बिडर के विरूद्व प्रति अवहेलना पर 20,000/— रूपये की शास्ति राशि अधिरोपित की जावेगी:—

- नगर निगम द्वारा जारी रसीद बुक एवं पोस मशीन के अतिरिक्त अन्य रसीद ठेकेदार देता हुआ पाया जाता है अथवा नगर निगम के राजस्व निरीक्षक/सहायक राजस्व निरीक्षक से अनिम्न स्तर के अधिकारी द्वारा जांच के दौरान अवहेलना पाये जाने पर।
- अव्यवस्थित पार्किंग व निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूलने की शिकायत प्राप्त होने व जाँच उपरान्त उपरोक्त अनियमितता पाए जाने पर।
- निगम द्वारा निर्धारित दरो की सूचना मौके पर सफल बिडर द्वारा सहज दृश्य स्थानों पर अनिवार्य रूप से न्यूनतम दो जगहों पर बडे—बड़े अक्षरों में लिखकर प्रदर्शित करनी होगी अन्यथा प्रति अवहेलना पर 20,000/— रूपये शास्ति वसूल की जावेगी।

25. सफल बिडर को दिशा निर्देशों की पालना हेतु नगर निगम के पक्ष में संविदा हेतु 500/—रूपये के स्टाम्प पर अनुबन्ध निष्पादित करना होगा।
26. एक वर्ष मे 3 से अधिक शास्तियां आरोपित हो जाने अथवा संवेदक द्वारा निविदा की शर्तों का उल्लघंन किये जाने पर सफल बिडर को 24 घण्टे का नोटिस दिया जाकर उसकी कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए कार्यादेश निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी जिसका अन्तिम निर्णय प्रशासक/आयुक्त नगर निगम, उदयपुर द्वारा किया जायेगा जो सफल बिडर को स्वीकार करना होगा।
27. केन्द्र, राज्य सरकार व स्थानीय प्रशासन द्वारा समय समय पर निर्धारित/आरोपित किसी भी प्रकार के शुल्क/कर आदि लागू होने की अवस्था में सफल बिडर द्वारा वहन किया जायेगा।
28. सफल बिडर द्वारा पार्किंग हेतु चयनित स्थान के बाहर खडे वाहनो को यातायात पुलिस विभाग द्वारा जब्त करने पर निगम की जिम्मेदारी नहीं होगी।
29. सफल बिडर को स्वीकृत बोली राशि (प्रथम वर्ष + द्वितीय वर्ष 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ) का 10 प्रतिशत कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के रूप में नगद/बैंक प्रतिभूति के रूप में आयुक्त नगर निगम के नाम जमा करनी होगी। यह राशि संतोषप्रद ठेका अवधि समाप्ति के बाद तथा राजस्व अधिकारी द्वारा कुछ बकाया नही प्रमाणित करने के बाद नियमानुसार लौटाई जायेगी।

Signature valid

Digitally signed by Ram Prakash
Designation: Commissioner
Date: 2025.01.30 21:58:23 IST
Reason: Approved

30. सफल बिडर द्वारा पार्किंग स्थल पर नियुक्त कर्मचारी को संवेदक द्वारा निर्धारित ड्रेसकोड एवं आईडी कार्ड उपलब्ध करवाना होगा। पार्किंग के लिये नियुक्त कर्मचारी द्वारा आमजन के साथ शालीन व भद्र व्यवहार करने की जिम्मेदारी सफल बिडर की होगी। अभद्र व्यवहार, निर्धारित ड्रेसकोड की पालना नहीं होने/सफल बिडर द्वारा जारी आईडी कार्ड नहीं होने की शिकायत पाये जाने पर 500/– रुपये की शास्ति प्रति शिकायत सफल बिडर को निगम में जमा करानी होगी।

31. पार्किंग स्थल संबंधी समस्त विद्युत खर्च का भुगतान सफल बिडर द्वारा किया जायेगा। सफल बिडर द्वारा विद्युत खर्च संबंधी बिल नियमित रूप से भरे जायेंगे विद्युत बिल समय पर जमा नही करवाने पर पेनेल्टी आदि की समस्त जिम्मेदारी सफल बिडर की होगी। निविदा समयावधि समाप्ति पश्चात् निगम की विद्युत शाखा से समस्त विद्युत बिल के भुगतान एवं विद्युत उपकरणों की अनापत्ति प्रदान करने पश्चात् ही कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि लौटाई जायेगी।

32. कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व किसी भी कारणवश सफल बिडर द्वारा कार्य बीच में ही छोड दिये जाने अथवा निविदा की शर्तो का उल्लंघन करने पर सफल बिडर की कार्य संपादन प्रतिभूति राशि जब्त कर संबंधित पार्किंग स्थल की निविदा प्रक्रिया से अधिकतम अगले 3 वर्ष हेतु विवर्जित कर दिया जायेगा।

33. बिडर को निम्न दस्तावेज अनिवार्य रूप से संलग्न करने होंगे इनके अभाव में बिडर को अपात्र घ ोषित कर दिया जाएगा–

- पेन कार्ड।
- आधार कार्ड।
- फर्म/संस्था/कम्पनी की स्थिति में रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र।
- स्थायी निवास पता हेतु आई.डी. प्रुफ।
- निविदा प्रपत्र शुल्क जमा होने की रसीद या आयुक्त नगर निगम के पक्ष में डी.डी.।
- धरोहर राशि की रसीद अथवा या आयुक्त नगर निगम के पक्ष में डी.डी.।
- क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होने का शपथ पत्र या पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र।
- किसी भी राजकीय विभाग, निगम, परिषद, पालिका द्वारा डिबार/ब्लेक लिस्टेड नही होने का शपथ पत्र।
- हस्ताक्षरित Annexure A,B,C,D, संलग्न करना अनिवार्य होगा।

34. अधिक जानकारी वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in, https://sppp.rajasthan.gov.in, https://www.udaipurmc.org पर या कार्य दिवस के दौरान राजस्व शाखा (कमरा नं.–71) नगर निगम, उदयपुर से प्राप्त की जा सकती है।

35. बोलियों की विधिमान्यता की कालावधि :–(Period Of Validity Of Bid) 90 (नब्बे) दिन होगी। बोली लगाने वालो से विधिमान्यता की कालावधि विस्तार करने का अनुरोध किया जा सकता है। बोली लगाने वाला अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है। ऐसी स्थिति में बोली प्रतिभूति वितपिमज नहीं की जा सकती। (नियम 48)

Signature valid

Digitally signed by Ram Prakash
Designation : Commissioner
Date: 2025.01.30 2?:58:23 IST
Reason: Approved

36. विलम्ब से प्राप्त बोलियां :— बोलियां प्राप्त करने के लिये प्राधिकृत व्यक्ति, ऐसी किसी भी बोली को प्राप्त नहीं करेगा जो बोलियां प्रस्तुतीकरण के लिये नियत समय और तारीख के पश्चात् व्यक्तिशः प्रस्तुत की गई हों। कोई भी बोली, जो बोलियों के प्रस्तुतीकरण के लिये अन्तिम समय सीमा के पश्चात् डाक द्वारा पहुंची हो, को "विलम्ब से प्राप्त" के रूप में चिह्नित और घोषित किया जाएगा और बिना खोले ही रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा बोली लगाने वाले को लौटा दी जावेगी।

37. किसी या समस्त बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का उपापन संस्था का अधिकार :— उपापन संस्था बोली लगाने वालों के प्रति किसी उत्तरदायित्त्व को उपगत किये बिना, किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने, और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और संविदा के अधिनिर्णय से पूर्व किसी भी समय, समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती हैं।

38. करार का निष्पादन :—

(1)कोई उपापन संविदा ऐसी तारीख से प्रवृत होगी, जिसको स्वीकृति पत्र (LOA) या आशय पत्र बोली लगाने वाले को प्रेषित किया जाता है।

(2)सफल बोली लगाने वाला, बोली दस्तावेज में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर या जहा बोली दस्तावेज में कोई कालावधि निविर्दिष्ट नहीं की गयी हो वहां उस तारीख से पंद्रह दिवस के भीतर, जिस पर सफल बोली लगाने वाले को स्वीकृति पत्र या आशय पत्र प्रेषित किया जाता है, उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करेगा।

(3)यदि बोली लगाने वाला, जिसकी बोली स्वीकृत की जा चुकी है, विनिर्दिष्ट कालावधि में लिखित उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है या अपेक्षित कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने में विफल रहता है तो उपापन संस्था, सफल बोली लगाने वाले के विरुद्ध अधिनियम या इन नियमों के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करेगी। उपापन संस्था, ऐसे मामलों में उपापन प्रक्रिया रद्द कर सकेगी या यदि वह उचित समझे तो बोली दस्तावेज में उपवर्णित कसौटी और प्रक्रियाओं के अनुसार सर्वाधिक लाभप्रद दरों पर अगले सर्वाधिक लाभप्रद दर की बोली लगाने वाले को स्वीकृति का प्रस्ताव दे सकेगी।

(4)सफल बोली लगाने वाले को उसके खर्चे पर विनिर्दिष्ट मूल्य के न्यायिकेतर स्टाम्प पर करार निष्पादित करने के लिए कहा जायेगा।

(5) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का सम्पूर्ण व्यय सफल बिडर द्वारा वहन किया जाएगा।

39- The contractor shall follow the contractor labour regulation and abolition Act 1970 & Rule1971

40- Additional Conditions of Contract

Correction of arithmetical errors

a. Provided that a financial bid is substantially responsive, the procuring entity will correct arithmetical errors during evaluation of financial Bids on the following basis:

(ii) If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

(iii) If the Bidder that submitted the highest evaluated bid does not accept the correction of errors, its bid shall be disqualified and its bid security shall be forfeited or its bid securing declaration shall be executed.

Signature valid

Digitally signed by Ram Prakash
Designation : Commissioner
Date: 2025.01.30 2?:58:23 IST
Reason: Approved

41. जुर्माना :–

(क) वितीय बोलियो के सुनने के पश्चात् उपापन प्रकिया से हटता है।

(ख) सफल बोली लगाने वाला बोली घोषित होने पश्चात् बोली लगाने वाले दस्तावेज के निबंधनो में अपेक्षित कार्य संपादन प्रतिभूति या कोई अन्य दस्तावेज या प्रतिभूति उपलब्ध करवाने में वैद्य आधारो के बिना असफल रहता है तो वह बोली लगाने वाले दस्तावेजो या संविदा में अविलम्ब के अतिरिक्त ऐसे जुर्माने से दण्डनीय होगा जो उपापन के निर्धारित मूल्य के 10 प्रतिशत जो भी कम हो तक का हो सकेगा तथा विवर्जित (Debarred) किया जावेगा। फर्म को उस तारीख जिसको वह विवर्जित (Debarred) किया गया उससे निगम की उपापन प्रकिया में भाग लेने योग्य नही होगा।

42. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 एवं पब्लिक वर्क एण्ड फाईनेन्स रूल्स ऑफ अपेनडिस्क (परिशिष्ट) XI लागू होगे।

43. सफल बिडर के किसी व्यवहार व कृत्य की जिम्मेदारी नगर निगम की नही है एवं सफल बिडर द्वारा रखे गये किसी भी कर्मचारी के किसी व्यवहार व भुगतान के लिये नगर निगम उत्तरदायी नही है।

44. बिडर स्वयं पार्किंग स्थलों का निरीक्षण कर संतुष्ट हो जावें तथा निगम में पार्किंग स्थलों हेतु निर्धारित स्थानों के नक्शे का अवलोकन कर ले। बिडर के संबंध में यह माना जाएगा की उसने पार्किंग स्थलों का निरीक्षण कर वाहनों की पार्किंग क्षमता, प्रवेश निकास द्वार, विद्युत सुविधा आदि का निरीक्षण कर संतुष्ट होने के पश्चात ही निविदा में भाग लिया है अतः भविष्य में पार्किंग स्थलों के संबंध में कोई शिकायत स्वीकार्य नही होगी।

45. विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षैत्र उदयपुर होगा।

(राम प्रकाश IAS)
आयुक्त
नगर निगम उदयपुर

Signature valid

Digitally signed by Ram Prakash
Designation: Commissioner
Date: 2025.01.30 21:58:23 IST
Reason: Approved

कार्यालय नगर निगम, उदयपुर

निविदा प्रपत्र

1. कार्य का नाम – पार्किंग स्थल "**सेवाश्रम एंव नवनिर्मित फ्लाईओवर के नीचे पार्किंग**" के लिये पार्किंग ठेका

2. निविदादाता का नाम एवं पूर्ण पता– ....
(कृपया आई.डी.प्रुफ संलग्न करें)– ....

मो.नं.– ....

3. निविदा दाता का पेन नं. (प्रति संलग्न करें) ....

4. निविदादाता द्वारा वार्षिक दर जो दी जा रही है(**दर सुपाठ्य व पेन से अंकित करें**)

अंकों में..

अक्षरों में..

निविदादाता की घोषणा

मैं..एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई सम्पूर्ण जानकारी सत्य है मैंने निविदा की समस्त शर्तों को भलीभांति पढ़ व समझ लिया है तथा मैं निर्धारित शर्तों की पालना करने व मेरे द्वारा अंकित की गई वार्षिक दर के अनुसार राशि जमा कराने पर सहमत हूँ।

हस्ताक्षरः–
नामः–..
पताः– ....
....
मो.नं.ः–..

Signature valid

Digitally signed by Ram Prakash
Designation : Commissioner
Date: 2025.01.30 21:58:23 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 13247611

Annexure 'A'

Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall:-

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) Disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/ shareholders in common; or

b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or

c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or

d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or

e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or

f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or

g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Signature of Bidder with Stamp

Commissioner, Municipal corporation Udaipur

Signature valid
Digitally signed by Ram Prakash
Designation: Commissioner
Date: 2025.01.30 2?:58:23 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 13247611

Annexure 'B'

Declaration by the Bidder regarding Qualifications

<u>Declaration by the Bidder</u>

In relation to my/our Bid submitted to .... for procurement of .... in response to their Notice Inviting Bids No.............. Dated............. I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:

Place:

Designation:

Address:

Signature of bidder

Name :

Signature of Bidder with Stamp

Commissioner
Municipal corporation Udaipur

Signature valid

Digitally signed by Ra[illegible] Prakash
Designation : Commissioner
Date: 2025.01.30 2[illegible]:58:23 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 13247611

Annexure 'C'

Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is Director, local Self Govt. Jaipur (Raj.)

The designation and address of the Second Appellate Authority is Secretry, Local Self Govt. Jaipur (Raj.)

(1) **Filing an appeal**

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only vby a Bidder who has participated in procurement proceedings: Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) **Appeal not to lie in certain cases**

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procurement;
(b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality.

Signature valid

Digitally signed by Ram Prakash
Designation: Commissioner
Date: 2025.01.30 21:58:23 IST
Reason: Approved

(5) **Form of Appeal**

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) **Fee for filing appeal**

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) **Procedure for disposal of appeal**

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Signature of Bidder with Stamp

Commissioner,
Municipal corporation Udaipur

Signature valid

Digitally signed by Ra[illegible] Prakash
Designation: Commissioner
Date: 2025.01.30 2[illegible]:58:23 IST
Reason: Approved

FORM No. 1

[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No ....of ....

Before the .... (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
   - (i) Name of the appellant:
   - (ii) Official address, if any:
   - (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):
   - (i)
   - (ii)
   - (i)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal: ....

....

....(Supported by an affidavit)

7. Prayer:..

....

....

Place ....

Date ....

Appellant's Signature

Signature valid

Digitally signed by Ram Prakash
Designation : Commissioner
Date: 2025.01.30 2?:58:23 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 13247611

Annexure 'D'

Additional Conditions of Contract

1. **Correction of arithmetical errors**

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. **Procuring Entity's Right to Vary Quantities**

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. **Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)**

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. How- ever, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Signature of Bidder with Stamp

Commissioner,
Municipal corporation Udaipur

Signature valid

Digitally signed by Ram Prakash
Designation: Commissioner
Date: 2025.01.30 21:58:23 IST
Reason: Approved